

भारत: शीर्ष प्रेषण प्राप्तकर्त्ता

प्रलिस के लयः

प्रेषण रसीद, आर्थक सरवेक्षण, वैश्वक प्रेषण रसीद स्तर पर भारत की स्थतऱ, डब्ल्यूएचओ, शरणार्थयों और प्रवासयों के स्वास्थय पर वशिव रपौरट ।

मेन्स के लयः

प्रेषण का महत्त्व, प्रवासन के नकारात्मक प्रभाव

चर्चा में कयों?

हाल ही में [वशिव स्वास्थय संगठन](#) द्वारा 'शरणार्थयों और प्रवासयों के स्वास्थय पर जारी वशिव रपौरट' के अनुसार, भारत को वर्ष 2021 में प्रेषण (Remittance) द्वारा **87 बलियन अमेरकी डॉलर प्राप्त हुए हैं ।**

रपौरट के बारे में:

परचयः

- यह **स्वास्थय और प्रवास** की वैश्वक समीक्षा की पेशकश करने वाली पहली रपौरट है और दुनया भर में **शरणार्थयों एवं प्रवासयों** को उनकी जरूरतों के लयः संवेदनशील [स्वास्थय देखभाल सेवाओं](#) तक पहुँच प्रदान करने हेतु तत्काल और ठोस कार्रवाई करने का आह्वान करती है ।

परणामः

प्रवासनः

- रपौरट के अनुसार, 'वशिव स्तर पर प्रत्येक आठ में से लगभग एक व्यक्ति प्रवासी है (कुल 1 अरब प्रवासी हैं) ।
- 1990 से 2020 तक:**
 - अंतर्राष्ट्रीय प्रवासयों की कुल संख्या 153 मलियन से बढ़कर 281 मलियन हो गई है ।
 - लगभग 48% अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी महल्लिएँ हैं और लगभग 36 मलियन बच्चे हैं ।
 - वर्ष 2020 तक यूरोप और उत्तरी अमेरिका में अंतर्राष्ट्रीय प्रवासयों की **सबसे बड़ी संख्या मौजूद थी**, इसके बाद उत्तरी अफ्रीका एवं पश्चमी एशया का स्थान है ।
 - वर्ष 2021 की पहली छमाही के दौरान नए मान्यता प्राप्त **शरणार्थयों में से आधे से अधिक पाँच देशों से थे:**
 - मध्य अफ्रीकी गणराज्य
 - दक्षणि सूडान
 - सीरयाई अरब गणराज्य
 - अफगानस्तान
 - नाइजीरया

प्रेषणः

- वर्ष 2021 में शीर्ष पाँच प्रेषण प्राप्तकर्त्ता (अमेरकी डॉलर में) नमिन और मध्यम आय वाले देश थे:
 - भारत: 83 अरब**
 - वर्ष 2021 में भारत के प्रेषण में 4.8% की वृद्धि हुई । (वर्ष 2020 में प्रेषण 83 बलियन अमेरकी डॉलर था) ।
 - चीन: 53 अरब डॉलर
 - मेक्सको: 53 अरब डॉलर
 - फलीपींस: 36 अरब डॉलर
 - मसिर: 33 अरब डॉलर
- सकल घरेलु उत्पाद (GDP)** के हसिसे के रूप में वर्ष 2021 में शीर्ष पाँच प्रेषण प्राप्तकर्त्ता छोटी अर्थव्यवस्थाएँ थीं:
 - टोंगा: 44%**
 - लेबनान: 35%**
 - करिगज़िस्तान: 30%**

- ताजकिस्तान: 28%
- हॉन्डुरास: 27%
- यूरोप और मध्य एशिया, मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका, दक्षिणी एशिया और उप-सहारा अफ्रीका व अधिकांश अन्य क्षेत्रों में 5-10% की वृद्धि दर्ज करते हुए प्रेषण में तीव्र सुधार हुआ है।
- लेकिन चीन को छोड़कर पूर्वी एशिया और प्रशांत क्षेत्र में 1.4% की धीमी गति से वृद्धि हुई।

प्रेषण:

- प्रेषित धन या रेंटिस का आशय प्रवासियों द्वारा मूल देश में मितियों और रशितेदारों को किये गए वित्तीय या अन्य तरह के हस्तांतरण से है।
- यह मूलतः दो मुख्य घटकों का योग है- नवासी और अनवासी परिवारों के बीच नकद या वस्तु के रूप में व्यक्तिगत स्थानांतरण और कर्मचारियों का मुआवज़ा, जो उन शर्मियों की आय को संदर्भित करता है जो सीमित समय के लिये दूसरे देश में काम करते हैं।
- प्रेषण, प्राप्तकर्ता देश में आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने में मदद करते हैं, लेकिन यह ऐसे देशों को उन पर अधिक निर्भर भी बना सकता है।
 - यह अक्सर प्रत्यक्ष निवेश और आधिकारिक विकास सहायता की राशि से अधिक होता है।
- प्रेषण परिवारों को भोजन, स्वास्थ्य देखभाल और बुनियादी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद करते हैं।
- भारत दुनिया में सबसे अधिक प्रेषण प्राप्तकर्ता है।
 - प्रेषण भारत के **वैदेशी मुद्रा भंडार** को बढ़ाता है और **चालू खाते के घाटे** को पूरा करने में मदद करता है।

प्रेषण का महत्त्व:

- प्रेषण उपभोक्ता खर्च को बढ़ाते हैं या बनाए रखते हैं और इसने **कोविड -19 महामारी** के दौरान आर्थिक कठिनाई में मदद की है।
 - इन पूर्वानुमानों के बावजूद कोविड-19 महामारी (कुछ हद तक यात्रा प्रतिबंधों और आर्थिक मंदी के परिणामस्वरूप) **के कारण प्रेषण गिर जाएगा या लचीला हो जाएगा।**
- प्रेषण स्वयं प्रवासियों के लिये और अपने मूल देशों में शेष परिवार और दोस्तों के लिये प्रवासन का एक "महत्त्वपूर्ण और सकारात्मक" आर्थिक परिणाम है।
- प्रेषण अब आधिकारिक विकास सहायता से तीन गुना अधिक है और चीन को छोड़कर प्रत्यक्ष वैदेशी निवेश की तुलना में 50% से अधिक है।

प्रवासन के नकारात्मक प्रभाव:

- **प्रतभा पलायन:**
 - कुशल शर्म के परिणामस्वरूप एक तथाकथित **प्रतभा पलायन** हो सकता है आमतौर पर नमिन-आय वाले देशों से और उच्च आय वाले देशों में एक प्रक्रिया में मस्तषिक लाभ होता है जिसे आमतौर पर मस्तषिक परसिंचरण के रूप में जाना जाता है।
 - प्रतभा पलायन का प्रभाव सेवाओं की उपलब्धता को नुकसान पहुँचा सकता है, जैसे कि स्वास्थ्य देखभाल, अत्यधिक कुशल डॉक्टर और नर्स बेहतर आर्थिक अवसर की तलाश में कम आय वाले देशों को छोड़ देते हैं।
- **प्रवासन परिवार:**
 - प्रवासन न केवल उन लोगों को प्रभावित करता है जो आगे बढ़ते हैं बल्कि उनके परिवार और समुदाय के सदस्यों को भी प्रभावित करते हैं:
 - एक अनुमान के अनुसार लगभग 193 मिलियन प्रवासी शर्मियों के परिवार के सदस्य अपने मूल देश या स्थान पर ही
 - नौकरी करने के लिये उच्च आय वाले देशों में व्यक्तियों का प्रवास उनके **अपने परिवारों के लिये विशेष रूप से बच्चों और वृद्धों लोगों के देखभाल में कमी** पैदा कर सकता है।
- **भेदभाव और जेनोफोबिया:**
 - इससे शरणार्थियों और प्रवासियों को **घृणित व्यवहार का सामना करना पड़ सकता है।**
 - **जेनोफोबिया** लोगों का उनकी भाषा, संस्कृति, उपस्थिति या जन्म स्थान के कारण बाहरी लोगों के प्रति किया गया अनुचित व्यवहार है।
 - जेनोफोबिया मेजबान देशों में शरणार्थियों और प्रवासियों के प्रति भेदभाव, दुरव्यवहार या हिसा को बढ़ावा देता है जिसके गंभीर परिणाम परलक्षित होते हैं।
- **मानव तस्करी एवं ह्यूमन ट्रेफिकिंग:**
 - अधिकांश **प्रवासन की घटना कानूनों या वनियमों के उल्लंघन के रूप में होती है, अतः** प्रवासियों के एक बड़े हिस्से का आपराधिक नेटवर्क द्वारा दुरुपयोग एवं शोषण किया जाता है।
 - हालाँकि कानूनी दृष्टि से **मानव तस्करी एवं ह्यूमन ट्रेफिकिंग** में कई समानताएँ होती हैं, उन्हें जिस प्रकार से अंजाम दिया जाता है, कभी-कभी इनमें अंतर कर पाना भी मुश्किल होता है।

स्रोत: इकोनॉमिक टाइम्स

